न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 08/2017

प्रार्थी

श्री नारायणसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत, वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री करणसिंह पुत्र श्री सुखसिंह जाति राजपूत निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र पुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री श्रवणसिंह राणावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 16.12.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, वीरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री सुखसिंह पुत्र श्री सुरताजी जाति राजपूत निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 59 दिनांक 30.03.1971 वर्गफीट 3000 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 271 (जरिये नीलामी) के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिह राणावत ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री सुखसिंह पुत्र श्री सुरताजी जाति राजपूत निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 59 दिनांक 30.03.1971 वर्गफीट 3000 जारी किया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रार्थी के पिता श्री शंकरसिंह के कब्जेशुदा एक आवासीय

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मकान गांव वीरवाडा में आया हुआ है, जिस पर प्रार्थी के पिता द्वारा काफी रकम खर्च करके उस पर मकान का निर्माण करवाकर पिछले 50 वर्षों से काबिज होकर अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। यह है कि अप्रार्थी के पिता का मकान भी प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा में आया हुआ है एवं अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री सुखसिंह एवं प्रार्थी के पिता आपस में साले बहनोई है। यह है कि प्रार्थी के पिता अहमदाबाद में ड्रईविंग का कार्य करते थे, जो कभी–कभी अपने गांव वीरवाडा आते जाते थे एवं प्रार्थी के पिता श्री शंकरसिंह ने अपने बहनोई श्री सुखसिंह को अपने कब्जेशुदा भूमि, जिस पर मकान बना हुआ है, ग्राम पंचायत से पट्टा विलेख बनवाने हेतु पत्रावली सम्पूर्ण दस्तावेज सहित दिए एवं राशि भी दी, लेकिन अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री सुखसिंह द्वारा अपने बहनोई श्री शंकरसिंह की सम्पत्ति का पट्टा विलेख भी अपने स्वयं की भूमि के नाप में शामिल करते हुए सम्पूर्ण भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत से मिली भगत कर विधि विरूद्ध तरीके से जारी करवा लिया, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थी के पिता की सम्पत्ति का भी पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के पिता ने अपने नाम से गलत व फर्जी तरीके से बनवाने की जानकारी वर्ष 2011 में प्रार्थी को हुई, जिस पर अप्रार्थी ने आपस में समझाईश एवं समझौते के तहत दिनांक 08.09.2011 को एक लिखत लिखकर दिया, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो स्वयं ने गवाहों के समक्ष लिखकर दिया कि उक्त मकान प्रार्थी का रहेगा एवं प्रार्थी ही उस मकान पर काबिज है और विवाद खत्म किया, परन्तु इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या दो ने अपने पिता के नाम से जारी पट्टा विलेख सम्पूर्ण भूमि व मकान की गिफ्ट डीड अपने नाम से दिनांक 01.10.2015 को रजिस्टर्ड करवा दी, जो प्रारम्भतः शून्य है। उक्त गिफ्ट डीड के आधार पर अप्रार्थी संख्या दो ने प्रार्थी के ऊपर गलत व मिथ्या आरोप लगाते हुए एक फौजदारी मुकदमें का सहारा लिया, जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान मुकदमें को झूठा मानते हुए अदमवकू झूठ में एफ.आर. न्यायालय में पेश की। यह है कि प्रार्थी ने उक्त सम्पत्ति पर विधिवत रूप से ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्युत सम्बन्ध लिया हुआ है, जिसे 10 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत मकान के अन्दर शौचालय निर्माण बाबत् ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृति भी प्राप्त की हुई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर विवादित पट्टा संख्या 59 दिनांक 30.03.1971 वर्गफीट 3000 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री सुखसिंह पुत्र श्री सुरताजी को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 271 (जरिये नीलामी) के तहत सम्पूर्ण विधि अनुसार औपचारिकता पूर्ण कर पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इसमें पंचायत ने किसी भी प्रकार का कोई मेल मिलाप नहीं किया है। पक्षकारान के मध्य सम्पत्ति बंटवाड का विवाद है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमायें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राणावत द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री सुखसिंह पुत्र श्री सुरताजी जाति राजपूत निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 271 (जरिये नीलामी) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो के पिता श्री सुखसिंह पुत्र श्री सुरताजी द्वारा इस संबंध में कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के पिता ने अपना मकान प्रार्थी के पिता को निवास करने हेतु दिया था, जिस कारण वर्तमान में प्रार्थी उक्त मकान में निवासरत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

यह है कि उक्त मकान का निर्माण अप्रार्थी संख्या दो व उसके पिता द्वारा करवाया गया है, परन्तु वर्तमान में प्रार्थी की नियत में खोट आ जाने से प्रार्थी उक्त मकान को हड़पना चाहता है एवं अप्रार्थी संख्या दो के स्वामित्व से इंकार कर रहा है। यह है कि उक्त वादग्रस्त मकान के पास अप्रार्थी का आधा हिस्सा का मकान आया हुआ है, जिसमें अप्रार्थी निवास कर रहा है एवं उसी मकान के आधे हिस्से पर प्रार्थी को निवास करने हेतु दिया हुआ है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री सुखसिंह ने स्वयं अपनी सम्पत्ति का पट्टा बनवाया है, न कि प्रार्थी के पिता के किसी भूखण्ड का। यह है कि उक्त मकान मय भूखण्ड अप्रार्थी संख्या दो के पिता की सम्पत्ति है, जिस पर उनका पूर्ण अधिकार होने से उक्त सम्पत्ति की गिफ्ट डीड अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या दो के नाम करवा दी, जो पूर्णतः विधिवत है। यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमायें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री सुखसिंह पुत्र श्री सुरताजी जाति राजपूत निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को उक्त विवादित पट्टा संख्या 59 दिनांक 30.03.1971 वर्गफीट 3000 ग्राम पंचायत, वीरवाडा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 271 (जरिये नीलामी) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया है कि ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पिता को प्रार्थी के पिता की भूमि को भी सम्मिलित करते हुए पट्टा जारी किया है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री सुखसिंह पुत्र श्री सुरताजी को कुल 3000 वर्गफीट का पट्टा दिनांक 30.03.1971 को जारी किया था, परन्तु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के मध्य दिनांक 08.03.2011 को हुए लिखित समझौते में यह स्पष्ट किया हुआ है कि जो मकान प्रार्थी श्री नारायणसिंह के कब्जे में है, वह उसी का रहेगा, जिस पर दोनों पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षर किए हुए है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो, दोनो के अधिवक्ताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त विवादग्रस्त पट्टे के भूखण्ड के आधे हिस्से पर प्रार्थी श्री नारायणसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह का कब्जा है एवं पुलिस थाना पिण्डवाडा की अनुसंधान रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विवादित पट्टे पर बने प्लॉट का एक हिस्सा स्वयं प्रार्थी के पिता श्री शंकरसिंह द्वारा मकान बनाया था और तब से ही वह उसमें निवासरत है एवं प्रार्थी के माता–पिता के देहान्त होने के बाद स्वयं प्रार्थी श्री नारायणसिंह अपने परिवार सहित उस मकान में निवास करता आ रहा है एवं प्रार्थी के पिता के समय से ही उस पर कब्जा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने कब्जेशुदा भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन लेने हेतु आवेदन करने पर विद्युत विभाग द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थी श्री नारायणसिंह स्वयं के नाम से वर्ष 2009 में बिजली कनेक्शन जारी किया, जिसका बिल प्रार्थी श्री नारायणसिंह के नाम से ही चलता आ रहा है एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण करवाने को ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा प्रार्थी श्री नारायणसिंह के नाम से ही निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी अनुदान राशि भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के नाम से ही जारी की गई थी। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि पुलिस थाना पिण्डवाडा द्वारा अनुसंधान रिपोर्ट में भी की गई है। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या दो के पिता के स्वामित्व का भूखण्ड है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त विवादित पट्टे के सम्पूर्ण भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो या उनके पिता का कब्जा हो, जबकि अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता स्वयं द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अपने जवाब में भी यह स्वीकार किया गया है कि उक्त विवादित भूखण्ड के एक हिस्से पर प्रार्थी के पिता का कब्जा था। अतः उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री सुखसिंह पुत्र श्री सुरताजी द्वारा प्रार्थी के पिता श्री शंकरसिंह के कब्जेशुदा भूखण्ड को भी सम्मिलित करते हुए उक्त विवादित पट्टा संख्या 59 दिनांक 30.03.1971 को ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा जारी करवाया गया था, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री सुखसिंह पुत्र श्री सुरताजी का उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड के सम्पूर्ण हिस्से पर कब्जे न होकर इसके एक हिस्से पर प्रार्थी के पिता श्री शंकरसिंह का कब्जा पूर्व से लेकर अब तक अनवरत चलता आ रहा है, जिसकी पुष्टि अप्रार्थी संख्या दो स्वयं द्वारा एवं पुलिस थाना पिण्डवाडा द्वारा की गई अनुसंधान रिपोर्ट, विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थी के नाम से जारी विद्युत कनेक्शन एवं ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की स्वीकृति एवं अनुदान राशि प्रार्थी के नाम से जारी करने के द्वारा गई है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के मध्य हुए लिखित समझौते दिनांक 08.03.2011 के द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि पुराने मकान का कब्जा प्रार्थी श्री नारायणसिंह व श्री भंवरसिंह के हक में है, जिसके चार माह में पैसे श्री भंवरसिंह द्वारा नहीं देने पर मकान का कब्जा श्री नारायणसिंह का रहेगा। अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड पर पक्षकारान के मध्य बंटवाड सम्बन्धि विवाद है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा जारी उक्त विवादित पट्टे को न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पिता श्री सुखसिंह पुत्र श्री सुरताजी जाति राजपूत निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी पट्टा संख्या 59 दिनांक 30.03.1971 वर्गफीट 3000 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner